न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—178/2015/223 (2015/00283)

1. जगदीश प्रसाद दाधीच दत्तक पुत्र माधो, जाति ब्राहमण, निवासी नानण, तहसील दूदू, जिला जयुपर हाल निवासी देवडूंगरी, बैंक वाली गली, मदनगंज—किशनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रामेश्वरी पुत्री स्व0 माधे पत्नि पांचू, जाति ब्राहमण, नि0 नानण, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व0 माधो पत्नि जगदीश, जाति ब्राहमण, नि0 नानण, तहसील दूदू, हाल नि0 अराई, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. कमला पुत्री स्व0 माधो पत्नि कांतिचंद, जाति ब्राहमण, निवासी नानण,तह0 दूदू हाल निवासी रूपनगढ़ रोड़ गोपाल बिल्डिग के पीछे, किशनगढ, जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   3/1— भानूप्रकाश पुत्र स्व0 कमला पत्नि कांतिचंद, नि0 गोपाल बिल्डिंग के पीछे, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
   3/2— राजेन्द्र कुमार पाटोदिया पुत्र स्व0 कमला पत्नि कांतिचंद, जाति ब्राहमण, नि0 वैंकटेस उच्च माध्यमिक विद्यालय, आजाद नगर, बस स्टेण्ड के सामने, अजमेर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
   3/3— मंजू पुत्री कमला, निवासी गोपाल बिल्डिंग के पीछे, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती चुकी पुत्री स्व0 माधो पत्नि मन्नालाल, कौम ब्राहमण, निवासी नानण, तह0 दूदू, हाल नि0 रहलाना, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 22.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 126/2011.

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एल0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 3/1 से 3/3.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 27.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एव डिक्री दिनांक 22.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2034 से 2036 के खाता संख्या 86 की भूमि साबिक खसरा नंबर 262/2, 264, 297, 337 कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा एवं खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नंबर 360 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम नानण, तहसील दूदू जिला जयपुर में अवस्थित है जिसके वादीगण के पिता स्व0 माधो पुत्र गणेश ब्राहमण खातेदार काश्तकार थे । उक्त भूमि वादीगण के पिता के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, और जब तक माधो जीवित रहा काबिज काश्त रहा, उसके स्वर्गवास के बाद वादीगण एवं उनकी माता काबिज काश्त चली आ रही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने फर्जी तरीके से दिनांक 27.4.1981 को ग्राम पंचायत नानण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बिना कोई आधार के अवैधानिक रूप से प्राप्त कर उसको आधार बनाकर दिनांक 29.4.1981 को मृतक माधो पुत्र गणेश का स्वर्गवास होने व प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक पुत्र होने के तथ्य दर्शाकर गलत रूप से संपूर्ण भूमि का विरासत का नामांतकरण संख्या 298 दिनांक 12.6.1981 को तस्दीक करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया जबकि वादीगण मृतक माधो की जायंदा वारिस एवं उत्तराधिकारी थी एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान थी। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 395, 396, 397, 410, 411, 442, 577, 578 कुल किता 8 कुल रकबा 3.12 है0 व खाता संख्या 82 के हाल खसरा नंबर 615 रकबा 0.53 है0 हिस्सा 1/2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी घोषणा वादीगण के नाम खातेदारी की जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.4.2015 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण तनकीयात कायम की थी, उसी के अनुसार कानूनन तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र ममें स्वंय के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद रामेश्वरी बनाम जगदीश के वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की थी जो प्रदर्श 34 है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट को स्व0 माधो का दत्तक पुत्र होना पूर्व वाद में स्वीकार किया है तथा हस्तगत वाद में भी सजरा खानदान पेश किया है जिसमें प्रतिवादी/अपीलांट को स्व0 माधो का दत्तक पुत्र अंकित किया है । इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादी/अपीलांट को दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 का संपूर्ण वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा अपने निर्णय में मात्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का हवाला दिया गया है लेकिन वादीगण के वाद को किस दस्तावेज के जरिये किस तरह से साबित होना माना यह अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट के अभिवचनों

का अवलोकन नहीं किया यदि प्रतिवादी के अभिवचनों का अवलोकन किया जाता तो उसमें स्वंय वादीगण ने प्रतिवादी को दत्तक पुत्र माना है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने मात्र रामेश्वरी देवी का अपने पीहर ग्राम नानण में रहना एवं विवादित आराजियात पर जरिये रामेश्वरी देवी के वादीगण का कब्जा काश्त होना माना है । वादीगण ने जो पूर्व वाद पेश किया था जो प्रदर्श 34 है उसमें स्वंय रामेश्वरी ने प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा विवादित भूमि में होना मानते हुए व प्रतिवादी को दत्तक पुत्र बताते हुए वाद पेश किया था जिसके बाबत् प्रतिवादी ने अपनी बहस में पूर्ण रूप से उक्त प्रदर्श 34 का हवाला देते हुए इस बाबत् कानूनी दृष्टांत भी पेश किये थे जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात का मूल खातेदार माधो पुत्र गणेश ब्राहमण थे । माधो के जीवनकाल में विवादित आराजियात पर माधो का कब्जा काश्त रहा तथा उसकी मृत्यु उपरांत वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी/अपीलांट का विवादित आराजियात से कोई संबधं नहीं है । स्व0 माधो पुत्र गणेश ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलांट को गोद नहीं लिया था । अपीलांट ने फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत नानण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वंय को मृतक खातेदार माधो का दत्तक पुत्र बताते हुए संपूर्ण आराजियात जरिये विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 मृतक खातेदार माधो की जायंदा पुत्रियां होकर खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट शम्भूदयाल का जायंदा वारिस है जो ग्राम नानण में न रहकर ग्राम नरैना, तह0 फुलेरा में रहता है तथा कभी भी विवादित आराजियात काश्त नहीं की है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1998 पेज 446, हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 40, 14, आर0बीजे0 2008 पेज 83, आर0बी0जे0 2005 पेज 550, आर0आर0डी0 2009 पेज 603 व आर0आर0टी0 2008 पेज 126 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार स्व0 माधो पुत्र गणेश ब्राहमण थे । स्व0 माधो के कोई पुत्र संतान नहीं होकर केवल मात्र वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 पुत्रियां विधिक वारिसान है । अपीलांट ने स्वंय को मृतक माधो का दत्तक पुत्र होने का कथन कर विवादित आराजियात अपने दर्ज करवाना पत्रावली से स्पष्ट है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वह मृतक माधो पुत्र गणेश का दत्तक पुत्र हो तथा उसे माधो ने उसके जीवनकाल में गोद लिया था । अपीलांट ने ग्राम नानण में रहने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर कभी भी अपीलांट/प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादीगण के गवाहान पी0डब्ल्यू0 1 से 5 ने अपने बयानों में अपीलांट को कभी भी स्व0 माधो के गोद जाना नहीं बताया है तथा न ही विवादित आराजियात पर

अपीलांट का कब्जा काश्त होना बताया है । इसके विपरीत वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 मृतक खातेदार माधो की जायंदा पुत्रियां होना होकर मृतक खातेदार की विधिक वारिसान है जिनका विवादित आराजियात में हक व अधिकार निहित है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार प्रतिवादी/अपीलांट ने जब आराजियात विक्रय की थी तब वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य इकरारनामा निष्पादित हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने यह स्वीकार किया था कि बची हुई आराजियात वादीगण के नाम जबवा देगा । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.4.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर